Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 138 /2014

Khantar Choudhary & Ors. .....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–34/2009–10 मे दिनांक–22.08.2012 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कटिहार जिला के कोढ़ा अंतर्गत मौजा–कायली सिमराहा, थाना–281, खाता–531, खेसरा–72, रकवा–44 डी0, खेसरा–599, रकवा–44 डी0 एवं खेसरा–651, रकवा–06 डी0 विवादित भूमि है। खेसरा–72 एवं 599 की जमीन कृषि भूमि है तथा खेसरा–651 की जमीन बसोबास भूमि है। अपीलार्थी एवं उत्तरवादीगण स्व0 मुसई तियर के वंशज है तथा खतियानी जमीन के आधे–आधे के हिस्सेदार हैं। मौखिक पारिवारिक बंटवारे के पश्चात खेसरा संख्या–72, रकवा–44 डी0 तथा खेसरा–651 रकवा–03 डी0 जमीन उत्तरवादीगण के हिस्से में प्राप्त हुई तथा खेसरा–599 रकवा–44 डी0 जमीन एवं खेसरा–651 रकवा–03 डी0 जमीन अपीलार्थीगण को हिस्से में प्राप्त हुई। खंतर चौधरी (अपीलार्थी संख्या–01) को छोड़कर शेष सभी अपीलार्थी अपने जमीन का अधिकार अपीलार्थी सं0–01 को सौंपकर सभी गाँव से बाहर चले गये। इस प्रकार खंतर चौधरी संपूर्ण भूमि के आधे हिस्से का मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। उनकी माताजी उन्हें उक्त भूमि केवाला भी कर दी, जिसपर किसी को ऐतराज नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार उत्तरवादीगण को खेसरा–72, रकवा–44 डी0 तथा खेसरा–651 का आधा रकवा–03 डी0 का हिस्सा प्राप्त हुआ। उत्तरवादीगण एवं उनके वंशजों द्वारा खेसरा–72 से 20 डी0 जमीन अनिरूद्ध चौधरी को बिक्री कर दी गई। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थी सं0–01 द्वारा अपनी माता से केवाला द्वारा प्राप्त भूमि तथा अन्य अपीलार्थीगण द्वारा प्रदत भूमि का नामांतरण वाद सं0–280/1987–88 द्वारा अपने पक्ष में नामांतरण करा कर सरकार को लगान अदा किया जाने लगा। उक्त नामांतरण के विरूद्ध उत्तरवादीगण द्वारा 26 वर्ष के बाद नामांतरण अपीलवाद निम्न न्यायालय में दायर किया गया, जिसे गलत तरीके से भूमि विवाद क्रमशः	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 30.12.2024	निराकरण अधिनियम वाद में बदल कर आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना प्रावधान के नामांतरण अपील वाद को बी0एल0डी0आर0 वाद में बदल दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन का जोत आबाद वर्ष 1986–87 से लगातार किया जा रहा है। अंचल अधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन अपीलार्थीगण के पक्ष में है। उत्तरवादीगण का खेसरा–72, रकवा–44 डी0 का हक प्राप्त था, जिसमें से उनके द्वारा 20 डी0 भूमि अन्य लोगों को बिक्रय कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अतार्किक, गलत एवं तथ्यों से परे है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदे" ा को निरस्त करने तथा अपील वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राम तियर एवं सीता तियर दोनों भाई थे तथा उनके वंशजों के नाम से पूर्वजों की जमीन खतियान में दर्ज है। अपीलार्थीगण सीता तियर तथा उत्तरवादीगण राम तियर के वंशज है। खाता–531 के खेसरा–599 एवं खेसरा–651 की भूमि पर राम तियर एवं सीता तियर के वंशजों का आधा आधा हिस्सा है। नामांतरण वाद संख्या–1057/2008–09 द्वारा उक्त खाता के खेसरा की भूमि में उभय पक्षों को आधा आधा रकवा का नामांतरण किया गया था, जिसका उत्तरवादीगण के पक्ष में एक शुद्धि पत्र भी निर्गत था। इनका आगे कथन है कि जब अपीलार्थीगण द्वारा जबरन दखल का प्रयास किया जाने लगा तथा भूमि पर नामांतरण के आधार पर दावा प्रस्तुत किया जाने लगा तब उत्तरवादीगण को पता चला कि अपीलार्थीगण द्वारा धोखे से फर्जी कागजात के आधार पर अपने हिस्से से ज्यादा जमीन का नामांतरण अपने पक्ष में नामांतरण वाद संख्या–280/87–88 द्वारा करा लिया गया है। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय में उत्तरवादीगण द्वारा नामांतरण अपील वाद दायर किया गया, जिसे वाद की प्रकृति के आधार पर बी0एल0डी0आर वाद में तब्दिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा स्थलीय जाँच में पाया गया कि प्रस्तुत मामले में बी0एल0डी0आर0 एक्ट के धारा–04 के तहत आदेश पारित किया जा सकता है। चूँकि वादग्रस्त भूमि में दोनों पक्षों को आधे आधे की हिस्सेदारी प्राप्त है। मामला में स्वत्व का जटिल प्रश्न सन्निहित नहीं है। अपीलार्थी संख्या–01 की माता किसमतिया देवी द्वारा अपने हिस्से में प्राप्त भूमि से ज्यादा का केवाला अपने पुत्र को किया गया, जो स्पष्ट करता है कि उक्त केवाला अवैध है। निम्न न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तार्किक एवं सही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना उत्तरवादीगण द्वारा की गई है। उभय पक्षा को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत स्पश्ट है कि प्रस्तुत वाद का प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी एवं क्रमशः	

Web copy Not official.

	लगातार 30.12.2024	उत्तरवादी के पूर्वज के जमीन का आपसी बँटवारा से संबंधित है। उक्त जमीन का विक्रय करने के उपरांत नामांतरण कराकर कब्जा पर आधारित है, जिसका वास्तविक निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही संभव है। उपरोक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजे। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.